(i) पर्यटन यान के भीतरी और बाहरी और स्पष्ट अक्षरों में 'आपात निकास' लिखा होगा ;

(ii) यह इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पर्यटन यान के भीतरी और बाहरी दोनों ओर से खुले ;

(iii) उसे बंद करने का तंत्र लगा होगा जिसे आसानी से मुक्त किया जा सके किन्तु वह इस तरह बना होगा कि दुर्घटना की दशा में सुरक्षा प्रदान करे ;

(iv) यान के बाहर भूमि पर खड़े सामान्य लम्बाई के व्यक्ति आसानी से उस तक पहुंच सकें ;

(v) यात्रियों के लिए सुगम्य हो ;

(vi) इस तरह स्थित हो कि यान में स्थित कोई सीट अथवा अन्य वस्तु आपात दरवाजे के मार्ग को बाधित न करे ;

(vii) यान के पिछली ओर अथवा दायीं ओर स्थित हो ;

(viii) आपातकालीन निकासी टूटनीय शीशे की खिड़की के रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी । ऐसे मामलों में, कोई समुचित युक्ति आपातकाल की दशा में शीशे को तोड़कर खोलने के लिए सुविधाजनक स्थान पर लगाई जाएगी ।"

40. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 128 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**128क. एम 3 प्रवर्ग के यानों के लिए विशेष उपबंध --**

नियम 128क के उप नियम 4 के उपबंध एम 3 प्रवर्ग के सभी यानों पर लागू होंगे ।" ।

41. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 138 के उप नियम (4) में -

(क) खंड (ग) में अन्त में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त एम3 और एन3 के प्रवर्ग के यानों में भी यान के आगे और पीछे समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस: 022:2001, उक्त मानक में उपाबंध-4 के खंड 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 8.1.2 और 5.0, 6.0, 11.0 में, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए, के अनुपालन करने में पश्च परावर्तन त्रिकोण लगाना अपेक्षित होगा । यान के आगे लगाए गए त्रिकोण का रंग सफ़ेद और पीछे लगाए गए त्रिकोण का रंग लाल होगा । आगे और पीछे दोनों त्रिकोणों की अवस्थिति धरातल से अधिमानतः यान के केन्द्र पर, कम से कम एक मीटर ऊपर होगी । "श्वेत रंग चेतावनी त्रिकोण के प्रयोग के लिए जहां कहीं भी ए आई एस : 022:2001 में लागू हो, 'लाल' शब्द 'श्वेत' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । श्वेत पश्च परावर्तन भाग के रंग की अपेक्षाएं ए आई एस : 057 के खंड 8.5 के अनुसार होंगी और श्वेत प्रतिदीप्ति सामग्री आई एस ओ : 7591: 82 (ई) के खंड 7.1 के अनुसार होंगी ।"

(ख) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) दुपहिया की ख़रीद के समय दुपहिया विनिर्माता बी आई एस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विहित विनिर्देश के अनुरूप सुरक्षा हैड गियर प्रदान करेगा ;

परन्तु ये शर्तें धारा 129 और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार छूट प्राप्त प्रवर्ग के व्यक्तियों को लागू नहीं होंगी ।"

42. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से छह मास के पश्चात् से ही प्ररूप 20, 21, 22, 22क, 23, 23क, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 51 और 54 में आगे वाले "इंजन संख्या" शब्दों के स्थान पर "इंजन संख्या या बैटरी चालित यानों की दशा में मोटर संख्या" शब्द रखे जाएंगे ।

[फ. सं. आरटी-11028/3/2004-एमवीएल]
एस. के. मिश्र, निदेशक (सड़क परिवहन)

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का.नि. 590 (अ), तारीख़ 2 जून, 1998 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि. 349 (अ), तारीख़ 1 जून, 2005 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

129. सुरक्षात्मक टोप का पहनना—

किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को (साइड कार से अन्यथा) चलाने वाला उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान हो, [भारतीय मानक संस्थान के मानक को पूरा करने वाला सुरक्षात्मक टोप पहनेगा][1]:

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो सिक्ख है, किसी सार्वजनिक स्थान पर, मोटर साइकिल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुये है तो इस धारा के उपबन्ध उसे लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, ऐसे अपवादों के लिए, जो वह ठीक समझे ऐसे नियमों द्वारा, उपबन्ध कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—"सुरक्षात्मक टोप" से हेलमेट अभिप्रेत है—

(क) जिसके बारे में उसकी आकृति, सामग्री और बनावट के आधार पर उचित रूप से यह आशा की जाती है कि वह किसी मोटर साइकिल के चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति की किसी दुर्घटना की दशा में क्षति से किस सीमा तक सुरक्षा करेगा; और

(ख) जो पहनने वाले के सिर में टोप में लगे हुए फीतों या अन्य बंधनों से सुरक्षित रूप से बंधा होगा।

व्याख्या

परिचय—धारा 129 में 1994 में संशोधन कर भारतीय मानक संस्थान के मानक के अनुसार सुरक्षात्मक टोप पहनना अनिवार्य कर दिया है।

'सिबी पॉल बनाम प्रवीण कुमार'[2] के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- दुपहिया वाहनों पर सवार करने वालों के लिए सुरक्षात्मक टोप पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन किया जाना दण्डनीय है।

(Helmet for those riding two wheelers is mandatory. Violation of mandatory provisions of Rules attract penal provisions)

नियमों की वैधता को चुनौती—आन्ध्रप्रदेश के नियम 498-क को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (घ) तथा 21 के अधीन चुनौती दी गई, परन्तु इसे उच्चतम न्यायालय में विधिमान्य ठहराया है।[3]

राजस्थान मोटर यान नियमों के नियम 255-क को मनमाना, अनुचित तथा विभेदकारी नहीं माना गया।[4] भारतीय मानक संस्थान द्वारा हेलमेट का जो विवरण विहित किया गया, उसे सही माना गया।[5]

सिक्ख समुदाय को टोप पहनने से छूट देना भेदभाव पूर्ण नहीं है और न ही इस में शक्ति का अत्यधिक प्रत्यायोजन का दोष है।[6]

सुरक्षात्मक शिरस्त्राण (टोप/हेल्मेट) पहनना अनिवार्य-निर्देश दिए गए—सार्वजनिक स्थान में दुपहिया मोटर साइकिल को चलाने वाले या उस पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षात्मक टोप पहनना

---

1. 1994 के संशोधन-अधिनियम 54 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित
2. ए.आई.आर. 2009 केरल 99
3. ...क्रनु व. भारत संघ, (1989) 2 उम.नि.प. 213 : ए.आई.आर. 1988 सु.को. 2027 : (1988) 4 सु.को.के. 156 1988 (2)
4. ...राजस्थान राज्य, 1988 (1) राज.ला.रि. 828 (खण्डपीठ)
5. ...राजस्थान राज्य 1988 (2) राज.ला.रि. 940
6. ...नाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1994 कर्नाटक 56